बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

–:::कार्यालय आदेश :::–

का०आ०सं०– यो0स्था07/1–06/2025 (पार्ट) 2720/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 मई, 2025

दिनांक–21.04.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में निम्न 18 कनीय अभियंताओं (असैनिक) की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक सौपा जाता है:–

क्र0	समेकित क्र0 सं0	पंजीयन सं0	नाम	जन्म तिथि	गृह जिला
1	1849	BR00150010074636	श्री सुजीत कुमार	02.03.1986	गया
2	2005	BR00150010059044	श्री श्रीकान्त कुमार	15.01.1986	गया
3	2132	BR00150010017696	श्री रितेश रंजन	10.02.1988	नालंदा
4	2141	BR00150010076006	श्री प्रकाश कुमार पासवान	10.02.1988	औरंगाबाद
5	2259	BR00150010073362	श्री ऋतुरंजन भारती	01.12.1984	मुंगेर
6	2684	BR00150010083547	श्री राम शंकर कुमार	21.04.1980	मुंगेर
7	2859	BR00150010011728	श्री सोनू कुमार पाल	10.09.1997	रोहतास
8	2976	BR00150010035862	श्री अभिषेक कुमार	30.09.1999	बेगूसराय
9	2996	BR00150010092530	श्री शिव शंकर कुमार	10.01.1998	बेगूसराय
10	3025	BR00150010088856	श्री नितिश कुमार	15.06.1999	जमुई
11	3105	BR00150010006024	श्री श्रीकांत कुमार	14.10.1995	मधुबनी
12	3134	BR00150010094987	श्री प्रेमचंद शर्मा	15.10.1998	अररिया
13	3572	BR00150010045619	श्री आशुतोष कुमार	21.02.1998	मुजफ्फरपुर
14	3727	BR00150010093410	श्री सौरभ कुमार सिन्हा	06.05.1997	गया
15	3915	BR00150010088760	श्री प्रशांत कुमार	26.01.2000	सारण
16	3947	BR00150010091080	श्री चन्दन कुमार चौधरी	04.06.1999	गया
17	4692	BR00150010104259	श्री मुकुल कुमार सोनू	18.06.1996	सीतामढ़ी
18	6416	BR00150010070137	श्रीमती नितू कुमारी	10.03.1997	सहरसा

2. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानते हुए की जा रही है। यदि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाती है तो इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। संबंधित कार्यालय/विभाग अपने स्तर से भी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं की शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों की जाँच कर लेंगे।

3. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

4. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक–30.05.2025 तक नव पदस्थापित कार्यालय/विभाग में शैक्षणिक योग्यता, आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र, तकनीकी त्याग पत्र की स्वीकृति तथा

विरमन आदेश (मूल में) एवं अन्य वांछित कागजात की स्व–अभिप्रमाणित प्रति के साथ योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापित विभाग (पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना) से भुगतेय होगा। दिनांक–30.05.2025 तक योगदान की स्थिति में वेतन योजना एवं विकास विभाग में योगदान की तिथि से देय होगा। दिनांक–30.05.2025 के बाद जिस तिथि से पदस्थापित विभाग में योगदान देंगे उस तिथि से वेतन देय होगा।

6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके विभाग में पदस्थापित कनीय अभियंताओं (असैनिक) का योगदान प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. संबंधित विभाग को यह निदेशित किया जाता है कि पूर्व से नियोजित/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की योगदान की स्वीकृति एवं वेतनादि की निकासी की कार्रवाई पूर्व में कार्यरत संस्थान के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/विरमन पत्र की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् करेंगे एवं इसकी सूचना इस विभाग को भी उपलब्ध करायेगें।

8. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) का तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृति करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की वेतनादि का भुगतान तब तक नहीं की जायेगी जब तक योजना एवं विकास विभाग से इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। संवंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या–(PRAN No.) निश्चित रूप से सृजित कर लिया जाय।

10. अधियाचित विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियंता की नियमित नियुक्ति अथवा अन्य स्त्रोत से सेवा प्राप्त होने के उपरांत प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस कर दी जायेगी।

11. प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं के वेतनादि का भुगतान संबंधित विभाग, जहाँ वे प्रतिनियुक्त होगे, के द्वारा किया जायेगा।

12. प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई संबंधित विभाग, जहाँ वे प्रतिनियुक्त होगे, के स्तर से की जा सकेगी परन्तु यदि अनुशासनिक कार्यवाही का मामला बनता है तो उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर संबंधित पैतृक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

14. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्याता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

19/5/25

(रणजीत कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः योo स्थाo07/1–06/2025 (पार्ट) 2720/योoविo, पटना, दिनांक 19 मई, 2025

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैoदाoनिoकोo), विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था07/1–06/2025 (पार्ट) 2720/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 मई, 2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– यो0स्था07/1–06/2025 (पार्ट) 2720/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 मई, 2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक/राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को भेजने हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था07/1–06/2025 (पार्ट) 2720/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 मई, 2025

प्रतिलिपिः सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था07/1–06/2025 (पार्ट) 2720/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 मई, 2025

प्रतिलिपिः विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव